न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 36/2023

1. बाबूलाल पुत्र सांवलाराम जाति जाट निवासी गोदू का बास तहसील मण्डाया जिला झुन्झुनू (राज.)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता वादी:– श्री महेन्द्र कुमार नेमीवाल एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक:–23.05.2023

निर्णय दिनांक :–06.06.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गोदू का बास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 108 के वर्तमान खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 64, 65, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93 94 कुल किता 19 कुल रकबा 11.31 हेक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी की भूमि है। 3. यह कि प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि में केसीसी लेने के लिए दिनांक 10¢05¢2023 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुमेर पुत्र सांवलराम की जगह बाबूलाल पुत्र सांवलाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है।

4. यह कि वाद कारण दिनांक 10¢05¢2023 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरुस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम गोदू का बास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 108 के वर्तमान खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 64, 65, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 94 कुल किता 19 कुल रकबा 11.31 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करते हुवे प्रार्थी का नाम सुमेर पुत्र सांवलराम की जगह बाबूलाल पुत्र सांवलाराम दर्ज किये किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोदू का बास के खाता 108 के ख.न. 134 से 141, 64, 65, 86, 87 से 94 कुल किता–19 रकबा 11.31 हे. में प्रार्थी का कुछ हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान ख.न 134 से 140 के पुराने ख.न.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

Scanned with OKEN Scanner

215 वर्तमान ख.न. 64,65 के पुराना ख.न. 177, 178 वर्मतान ख.न. 86 का पुराना ख.न. 220, वर्तमान ख.न. 87 से 91 के पुराने ख.न. 219 वर्तमान ख.न. 92,93,94 के पुराना ख.न. 220 है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में उनके पिता की मृत्यु होने बाद विरासत की नामान्तरकरण स. 23 दिनाक 05-1-93 से दर्ज हुआ है। विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय इनका नाम सुमेर पुत्र सांवरमल दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो आधार कार्ड,मतदाता पहिचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट में नाम बाबूलाल 35 सावंलाराम दर्ज है । जांच रिपोर्ट में बाबूलाल पुत्र सांवलाराम व सुमेर पुत्र सांवलराम तो एक व्यक्ति है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थीगण वास्तविक नाम बाबुलाल पुत्र सावंलराम है । उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम नुआं के खाता संख्या 108 में दर्ज सुमेर पुत्र सावंलराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र सावलराम शुद्ध कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार पालना तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

Scanned with OKEN Scanner